ए.

एन. मोहन

वी.

आर. मधु

(2019 की सिविल अपील संख्या 8898)

बी.

नवंबर 21,2019

[आर**.** भानुमति**,** ए**.** एस**.** बोपन्ना और हृषिकेश रॉय**,** जे**.** जे**.]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या। IX,आर. 13 और एस.96(2) – प्रत्यर्थी-वादी का मामला यह था कि उसने अपीलार्थी को Rs.45,00,000/- की राशि उधार दी और अपीलार्थी-प्रतिवादी उक्त राशि को वापस करने में विफल रहा-मुकदमा एकतरफा घोषित किया गया-इसके बाद, अपीलार्थी ने यू/एस आवेदन दायर किया।5 याचिका दायर करने में 276 दिनों की देरी को माफ करने के लिए सीमा अधिनियम। IX,आर. 13 सी. पी. सी. ने एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने के लिए-याचिका को ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था और उसके खिलाफ संशोधन को हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था-उक्त आदेश के खिलाफ एस. एल. पी. को भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था-एस. एल. पी. को खारिज करने के बाद, अपीलार्थी ने 546 दिनों की देरी को माफ करने के लिए आवेदन के साथ पहली अपील दायर की-हाई कोर्ट ने देरी को माफ करने के लिए आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि पिछली कार्यवाही में यू/ओ. IX,आर. 13 सी. पी. सी., अपीलार्थी ने एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने के लिए समान कारण बताए थे और इसे ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःयू/एस फाइल करने और अपील करने का अधिकार।96(2) सी. पी. सी. एक वैधानिक उपाय है-अपील करने का अधिकार केवल प्रक्रिया का मामला नहीं है; बल्कि एक मूल अधिकार है-अपील करने का अधिकार।96(2) सी. पी. सी. ने एकतरफा पारित मूल डिक्री को चुनौती देते हुए, एक वैधानिक अधिकार होने के नाते, प्रतिवादी को इस आधार पर वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है कि आवेदन यू/या दायर किया गया है।IX,आर. 13 सी. पी. सी. को पहले खारिज कर दिया गया था-क्या प्रतिवादी

ने विलम्बकारी रणनीति अपनाई है या जहां अपील यू/एस के उपचार को आगे बढ़ाने में ईमानदारी की कमी है।96 (2) सी. पी. सी., प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए-तत्काल मामले में, अपीलार्थी ने रुपये जमा करके अपनी सच्चाई दिखाई है। 25,00,000-उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में-मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

156 ए.

157

एन. मोहन बनाम आर. मधु ए

न्याय के हित में, अपीलार्थी ने धन की वसूली के लिए मुकदमे में अपना बचाव करने का अवसर प्रदान किया-इस अवसर का लाभ उठाने के लिए, अपीलार्थी ने रुपये की शेष राशि जमा करने का निर्देश दिया। 20,00,000-, पहली अपील दायर करने में 546 दिनों की देरी को माफ कर दिया गया।

अपील का निपटारा करते हुए**,** न्यायालय ने

बी.

पकड़नाः**1.** जिस प्रतिवादी के खिलाफ एकतरफा डिक्री पारित की जाती है**,** उसके पास दो विकल्प होते हैं।पहला विकल्प आदेश **IX** नियम **13** सी**.** पी**.** सी**.** के तहत आवेदन दायर करना है और दूसरा विकल्प धारा **96 (2)** सी**.** पी**.** सी**.** के तहत अपील दायर करना है। विचार करने योग्य प्रश्न यह है कि क्या दोनों विकल्पों का प्रयोग एक साथ किया जाना है या लगातार भी किया जा सकता है।एक बेईमान वादी**,** निश्चित रूप से**,** पहले आदेश **IX** नियम **13** सी**.** पी**.** सी**.** के तहत एक आवेदन दायर कर सकता है और मामले को उच्चतम मंच तक ले जा सकता है**;** उसके बाद एकतरफा डिक्री को चुनौती देने वाली धारा **96 (2)** सी**.** पी**.** सी**.** के तहत अपील दायर करने का विकल्प चुन सकता है।उस स्थिति में**,** वादी के लिए काफी समय बर्बाद हो जाएगा।विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या एक साथ प्रदान किए गए

उपचारों को लगातार उपचारों में परिवर्तित किया जा सकता है।**[**पैरा **14] [165-**जी-एच**; 166-**ए-बी**]**

सी.

डी.

2. धारा **96 (2)** सी**.** पी**.** सी**.** के तहत एक अपील एक वैधानिक अधिकार है**,** प्रतिवादी को केवल इस आधार पर वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है कि पहले**,** आदेश **IX** नियम **13** सी**.** पी**.** सी**.** के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था। क्या प्रतिवादी ने विलम्बकारी रणनीति अपनाई है या जहां संहिता की धारा **96 (2)** के तहत अपील के उपचार को आगे बढ़ाने में ईमानदारी की कमी है**,** प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।यदि अदालत संतुष्ट होती है कि प्रतिवादी ने विलम्बकारी रणनीति अपनाई है या जहां ईमानदारी की कमी है**,** तो अदालत धारा **96 (2)** सी**.** पी**.** सी**.** के तहत पहली अपील दायर करने में देरी को माफ करने से इनकार कर सकती है। लेकिन जहां प्रतिवादी आदेश **IX** नियम **13** सी**.** पी**.** सी**.** के तहत ईमानदारी से उपचार का पीछा कर रहा है**,** अगर अदालत आदेश **IX** नियम **13** सी**.** पी**.** सी**.** के तहत उपचार का पीछा करने में बिताए गए समय में देरी को माफ करने से इनकार करती है**,** तो प्रतिवादी अपील के वैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएगा।क्या प्रतिवादी ने विलम्बकारी रणनीति अपनाई है या जहां संहिता की धारा **96 (2)** के तहत अपील के उपचार को आगे बढ़ाने में ईमानदारी की कमी है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

आदेश **IX** नियम **13** सी**.** पी**.** सी**.** के तहत आवेदन को खारिज करने के बाद**,** तथ्य का सवाल है और प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इस पर विचार किया जाना चाहिए।**[**पैरा **15] [166-**बी-ई**]**

3. जब प्रतिवादी ने एकतरफा डिक्री के खिलाफ धारा **96 (2)** सी**.** पी**.** सी**.** के तहत अपील दायर की और यदि उक्त अपील खारिज कर दी गई है**,** तो उसके बाद**,** प्रतिवादी आदेश **IX** नियम **13** सी**.** पी**.** सी**.** के तहत आवेदन दायर नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संहिता की धारा **96 (2)** के तहत दायर अपील को खारिज कर दिए जाने के बाद**,** मुकदमे में पारित मूल डिक्री अपीलीय अदालत के डिक्री के साथ मिल जाती है।

इसलिए, धारा **96 (2)** सी. पी. सी. के तहत दायर अपील को खारिज करने के बाद, अपीलार्थी आदेश **IX** नियम **13** सी. पी. सी. के तहत उपचार पर वापस नहीं आ सकता है। **[**पैरा **16] [166-**एफ**-**जी**]**

बी.

सी.

4. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी ने ब्याज के साथ **98,500/-** की वसूली के लिए **2015** का ओएस **<**आईडी**3** होने के नाते धन मुकदमा दायर किया है और उक्त मुकदमा **09.10.2015** पर एकतरफा घोषित किया गया था।डिक्री के निष्पादन के लिए **2016** की ईपी **No.95** होने के कारण निष्पादन याचिका भी दायर की गई थी।अपीलार्थी ने एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने के लिए आवेदन दाखिल करने में **276** दिनों की देरी को माफ करने के लिए **2016** का आई. ए. **No.327** होने के नाते आवेदन दायर किया है।उक्त आवेदन में, अपीलार्थी ने कहा है कि वह चेन्नई में रह रहा है; जबकि नोटिस त्रिची में दिया गया था और इसलिए, उसे तिरुचिरापल्ली में एडीजे अदालत के समक्ष **2015** के ओएस **No.76** में उक्त मुकदमा दायर करने के बारे में जानकारी नहीं थी और एकतरफा डिक्री **09.10.2015** पर पारित की गई थी।अपीलार्थी ने आगे कहा है कि उसे एकतरफा डिक्री और निष्पादन याचिका के बारे में केवल उस समय पता चला जब वह करूर में **2016** के सी. सी. **No.240** में **29.07.2016** पर पेश हुआ।एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने के लिए आवेदन दायर करने में **276** दिनों की देरी की माफी की मांग करने वाले अपीलार्थी द्वारा दायर उक्त आवेदन को दिनांक **04.01.2017** के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधन और एस. एल. पी. को भी खारिज कर दिया गया।**[**पैरा **17] [166-**जी**-**एच**; 167-**ए**-**सी**]**

डी.

ई.

एफ.

जी.

5. इसके बाद, अपीलार्थी ने पहली अपील दायर करने में **546** दिनों की देरी को माफ करने के लिए आवेदन के साथ पहली अपील को प्राथमिकता दी है।जैसा कि पहले बताया गया है, **276** दिन ए की देरी हुई थी

एच.

एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने के लिए आवेदन दायर करने में।आदेश **IX** नियम **13** सी**.** पी**.** सी**.** के तहत दायर आवेदन में कार्यवाही का पीछा करने से **270** दिनों की और देरी हुई है।इस प्रकार**,** पहली अपील दायर करने में लगभग **546** दिनों की कुल देरी हुई है। विलंब की क्षमा के लिए आवेदन में**,** निश्चित रूप से**,** अपीलार्थी ने वही आधार उठाया है जो सीमा अधिनियम की धारा **5** के तहत दायर आवेदन में एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने के लिए लिया गया था जिसे पहले की कार्यवाही में स्वीकार नहीं किया गया था।**[**पैरा **18] [167-**डी**-**ई**]**

बी.

6. केवल यह इंगित किया जाना चाहिए कि अपीलार्थी को अच्छी तरह से सलाह दी गई होगी कि यदि उसने आदेश **IX** नियम **13** सी**.** पी**.** सी**.** के तहत आवेदन के साथ पहली अपील दायर की होती। हालाँकि**,** अपीलार्थी ने रुपये जमा करके अपनी ईमानदारी दिखाई है। **25,00,000-**इस न्यायालय के दिनांकित **13.08.2018** के आदेशों के अनुपालन में।उक्त राशि रु। **25,00,000-**को प्रतिवादी**-**वादी **f** द्वारा वापस लेने की अनुमति दी गई थी।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और न्याय के हित में**,** हमारे विचार में**,** अपीलार्थी धन की वसूली के लिए मुकदमे में अपना बचाव करने का अवसर पाने का हकदार है।लेकिन इस अवसर का लाभ उठाने के लिए**,** उसे देरी की माफी के लिए एक शर्त के रूप में **Rs.20,00,000/-** की शेष राशि जमा करनी होगी।इन शर्तों में**,** विवादित निर्णय तदनुसार रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी है।**[**पैरा **19] [167-**जी**-**एच**; 168-**ए**-**बी**]**

सी.

डी.

ई.

भिवचंद्र शंकर मोरे बनाम बालू गंगाराम मोरे और अन्य **(2019) 6** एस**.** सी**.** सी**. 387;** भानु कुमार जैन बनाम अर्चना कुमार और एक अन्य **(2005) 1** एस**.** सी**.** सी**. 787:[2004] 6** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 1104;** नीरजा रियल्टर्स **(**पी**)** लिमिटेड बनाम**.**कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से जांगलू **(**मृत**) (2018) 2** एस**.** सी**.** सी**.**

एफ.

649 :[2018] 1 एससीआर **359-**पर निर्भर।मामला कानून संदर्भ

(2019) 6 एस**.** सी**.** सी**. 387**

उस पर भरोसा करें

पैरा **6**

जी.

[2004] 6 पूरक।एससीआर **1104** पर निर्भर

पैरा **11**

[2018] 1 एससीआर **359**

उस पर भरोसा करें

पैरा **12**

एच.

160

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 14 एस सी आर।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2019 की सिविल अपील संख्या 8898।

सी. एम. पी. में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के दिनांकित <आई. डी. 1] निर्णय और आदेश से। ए. एस. में 2017 का (एम. डी.) सं. 6566। (एम. डी.) नं. 2017 का SR.27805।

बी.

वी. सिंगन, के. कुमार, एस. महेंद्रन, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।जयंत मुथराज, वरिष्ठ अधिवक्ता, सी. के. सासी, नयनतारा रॉय, अब्दुल्ला एन., अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी.

आर**.** भानुमति**,** जे**.**

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील 2017 के ए. एस. (एम. डी.) एस. आर. संख्या 27805 में 2017 के सी. एम. पी. (एम. डी.) <आई. डी. 4 में मदुरै पीठ में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 24.04.2018 के विवादित आदेश से उत्पन्न होती है और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने 2015 के ओ. एस. No.76 दिनांक 09.10.2015 में पारित निर्णय और

डिक्री के खिलाफ पहली अपील दायर करने में 546 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया है।

डी.

3. जिन संक्षिप्त तथ्यों के कारण यह अपील दायर की गई, वे इस प्रकार हैं:- अपीलार्थी-प्रतिवादी एक व्यापारी है जो चाय और अचल संपत्ति का व्यवसाय करता है।प्रत्यर्थी-वादी का मामला यह है कि 10.01.2015 पर, अपीलार्थी ने अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के उद्देश्य से Rs.45,00,000/- की राशि के लिए वित्तीय सहायता के लिए प्रत्यर्थी-वादी से संपर्क किया।प्रत्यर्थी ने उसे Rs.45,00,000/- की राशि उधार दी और इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं था।प्रत्यर्थी के अनुसार, यह सहमति हुई कि उक्त राशि प्रति वर्ष 18 प्रतिशत के ब्याज के साथ प्रत्यर्थी को वापस कर दी जाएगी।अपीलार्थी दो महीने के भीतर उक्त राशि वापस करने के लिए सहमत हो गया; लेकिन अपीलार्थी ने राशि का भुगतान नहीं किया है। दूसरी ओर, कहा जाता है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को दो पोस्ट-डेटेड चेक जारी किए हैं, एक Rs.25,00,000/- की राशि के लिए और दूसरा Rs.20,00,000/- की राशि के लिए।जब उक्त चेक को 10.03.2015 पर संग्रह के लिए प्रस्तुत किया गया था, तो उन्हें इस समर्थन के साथ वापस कर दिया गया था कि "दराज द्वारा भुगतान बंद कर दिया गया है"।प्रतिवादी-वादी ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, तिरुचिरापल्ली के समक्ष 2015 का ओएस No.76 होने का दीवानी मुकदमा दायर किया।उक्त मुकदमे को 09.10.2015 पर एकतरफा घोषित किया गया था।

ई.

एफ.

जी.

एच.

161

एन. मोहन बनाम आर. मधु [आर. भानुमती, जे.] ए.

ए.

4. आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. कार्यवाही:- अपीलार्थी -

प्रतिवादी ने एकतरफा आदेश को दरकिनार करने के लिए आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत याचिका दायर करने में 276 दिनों की देरी को माफ करने के लिए सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत 2015 के ओएस <आई. डी. 2 में 2016 का आई. ए. No.327 दायर किया।उक्त आवेदन में, अपीलार्थी ने कहा है कि समन त्रिची में अपीलार्थी के पुराने पते पर भेजा गया था और उसे बिना उपयोग किए वापस कर दिया गया था और एकतरफा डिक्री

09.10.2015 पर पारित की गई थी।उक्त आवेदन में यह कहा गया था कि अपीलार्थी जनवरी, 2014 से चेन्नई में रह रहा है।अपीलार्थी ने आरोप लगाया है कि जब वह 29.07.2016 पर करूर अदालत में CC No.240/2016 में एक मामले में भाग लेने गया, तो उसे 2015 के OS No.76 में एकतरफा डिक्री के पारित होने के बारे में पता चला।इसके बाद, अपीलार्थी ने एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने के लिए कदम उठाए हैं और 2016 के सीमा अधिनियम-आई. ए. No.327 की धारा 5 के तहत आवेदन दायर किया है ताकि एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने के लिए आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत याचिका दायर करने में 276 दिनों की देरी को माफ किया जा सके।उक्त याचिका को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 04.01.2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 (एन. पी. डी.) का सी. आर. पी. (एम. डी.) No.257 संशोधन दाखिल करके उक्त आदेश को चुनौती दी है।अपीलार्थी के इस तर्क को खारिज करते हुए कि वह चेन्नई में रह रहा है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त संशोधन को 2017 (एन. पी. डी.) के सी. आर. पी. (एम. डी.) No.257 के रूप में दिनांकित 08.02.2017 आदेश द्वारा खारिज कर दिया।उक्त आदेश के खिलाफ 2017 का एसएलपी (सी) No.9829 भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 07.04.2017 आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

बी.

सी.

डी.

ई.

5. ए. एस. (एम. डी.) एस. आर. नं. में अपीलार्थी द्वारा दायर पहली अपील।

27805 2017 के बारे में:- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस. एल. पी. को खारिज किए जाने के बाद, अपीलकर्ता-प्रतिवादी ने पहली अपील 2017 की ए. एस. (एम. डी.) एस. आर. संख्या 27805 के रूप में दायर की है, जिसमें 2015 के ओ. एस. No.76 दिनांक 09.10.2015 में पारित डिक्री को चुनौती दी गई है, साथ ही आवेदन 2017 का सी. एम. पी. (एम. डी.) No.6566 है, जिसमें अपील दायर करने में 546 दिनों की देरी को माफ करने का अनुरोध किया गया है।उक्त आवेदन में, अपीलार्थी ने वही आधार उठाए कि उसका चेन्नई में निवास है और उस पर समन जारी नहीं किया गया था और उस समन को त्रिची के पते पर ले जाया गया था और उसके बाद, उसके खिलाफ एक-पक्षीय डिक्री 09.10.2015 पर पारित की गई थी और इसलिए, देरी की माफी के लिए प्रार्थना की गई थी।उच्च न्यायालय ने देरी को माफ करने के लिए आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत पिछली कार्यवाही में, अपीलार्थी ने एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने के लिए वही कारण बताए हैं और अपीलार्थी द्वारा इस तरह बताए गए कारणों को निचली अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

एफ.

जी.

एच.

यह इंगित करते हुए कि अपीलार्थी ने समय पर पहली अपील दायर करने के लिए देर से चुना है, उच्च न्यायालय ने पहली अपील दायर करने में 546 दिनों की देरी को माफ करने के लिए आवेदन को खारिज कर दिया है।पीड़ित होने के कारण, अपीलार्थी ने यह अपील दायर की है।

6. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री एस. महेंद्रन के साथ श्री वी. सिंगन ने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी ने पहली अपील दायर करने में देरी के लिए पर्याप्त कारण दिखाया है और अपीलार्थी को योग्यता के आधार पर डिक्री को चुनौती देने का अवसर दिया जाना चाहिए।यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी ने यह दिखाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि वह त्रिची पते पर नहीं रह रहा था जहां प्रतिस्थापित सेवा प्रभावित हुई थी और इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने पहली अपील के साथ दायर देरी को माफ करने के लिए आवेदन को खारिज करने में गलती की।यह तर्क देते हुए कि इस तथ्य के बावजूद कि आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन खारिज कर दिया गया था, धारा 96 (2) सी. पी. सी. के तहत पहली अपील एक वैधानिक अधिकार होने के कारण अभी भी उपलब्ध है, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा।

बी.

सी.

भीवचंद्र शंकर मोरे बनाम बालू गंगाराम पर निर्भरता रखी गई

अधिक और अन्य (2019) 6 एससीसी 387।

डी.

7. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत मुथराज ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील सीमा की अवधि से परे थी और देरी को संतोषजनक रूप से समझाया नहीं गया था।यह प्रस्तुत किया गया था कि आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने के लिए आवेदन दायर करने में देरी को माफ करने के लिए पहले के आवेदन को निचली अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

स्वीकार नहीं किया गया था और इसे अंतिम रूप दिया गया है।यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी उसी प्रश्न को पुनः प्रस्तुत नहीं कर सकता है जिसने पिछली कार्यवाहियों में अंतिमता प्राप्त की है।

ई.

8. हमने प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और विवादित निर्णय और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है।इस अपील में विचार के लिए निम्नलिखित बिंदु उत्पन्न होते हैं:-

एफ.

(i) अपील दायर करने में देरी के लिए आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत दायर आवेदन को खारिज करने के बाद, क्या धारा 96 (2) सी. पी. सी. के तहत दायर अपील दिनांक 09.10.2015 के एकतरफा डिक्री के खिलाफ बनाए रखने योग्य है?

जी.

((ii) क्या एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने के लिए कार्यवाही में बिताए गए समय को सीमा अधिनियम, 1908 की धारा 5 के अर्थ के भीतर "पर्याप्त कारण" के रूप में लिया जाना चाहिए ताकि पहली अपील को प्राथमिकता देने में देरी को माफ किया जा सके?

एच.

ए.

9. जब एक-पक्षीय डिक्री पारित की जाती है, तो प्रतिवादी के पास दो उपाय होते हैं-(ए) या तो आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन दायर करना ताकि अदालत को संतुष्ट करके एक-पक्षीय डिक्री को दरकिनार किया जा सके कि समन जारी नहीं किया गया था या यदि दिया गया था, तो प्रतिवादी को अदालत में पेश होने से "पर्याप्त कारण" से रोका गया था जब मुकदमा सुनवाई के लिए बुलाया गया था; (बी) धारा 96 (2) सी. पी. सी. के संदर्भ में मूल डिक्री से पहली अपीलीय अदालत में नियमित अपील दायर करना और गुण-दोष पर एक-पक्षीय डिक्री को चुनौती देना।

बी.

10. सी. पी. सी. की धारा 96 (2) के तहत अपील दायर करने का अधिकार एक वैधानिक उपाय है।अपील करने का अधिकार केवल प्रक्रिया का विषय नहीं है, बल्कि यह एक मौलिक अधिकार है।एकतरफा पारित मूल डिक्री को चुनौती देने वाली धारा 96 (2) सी. पी. सी. के तहत अपील करने का अधिकार, एक वैधानिक अधिकार होने के नाते, प्रतिवादी को केवल इस

आधार पर वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है कि आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत दायर आवेदन को पहले खारिज कर दिया गया था।

सी.

11. भानु कुमार जैन बनाम अर्चना कुमार और एक अन्य

(2005) 1 एस. सी. सी. 787, उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या संहिता की धारा 96 (2) के तहत दायर पहली अपील इस तथ्य के बावजूद बनाए रखने योग्य थी कि आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन खारिज कर दिया गया था।यह देखते हुए कि अपील करने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है और वादी को इस तरह के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दियाः-

डी.

ई.

“36. ... पहली अपील में डिक्री की शुद्धता पर सवाल उठाने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है।जब तक कानून स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से ऐसा नहीं कहता है, तब तक ऐसे अधिकार में कटौती नहीं की जाएगी और न ही उस पर कोई प्रतिबंध लगाया जाएगा।(दीपाल गिरीशभाई को देखें।

सोनी बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2004) 5 एस. सी. सी. 385 और

चंद्रवती पी. के. बनामसी. के. साजी (2004) 3 एस. सी. सी. 734).....

एफ.

38. द्वैतवाद, हमारी राय में, यह अभिनिर्धारित करके हल किया जा सकता है कि जहां प्रतिवादी को निचली अदालत द्वारा एकतरफा सुनवाई के लिए मुकदमे को पोस्ट करने के आदेश की शुद्धता या अन्यथा के संबंध में विवाद उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और/या उसके समक्ष प्रतिवादी के गैर-उपस्थित होने के लिए पर्याप्त मामले का अस्तित्व, उसके लिए मुकदमे के गुण-दोष पर संहिता की धारा 96 (2) के तहत उसके द्वारा दायर पहली अपील में बहस करने के लिए खुला होगा ताकि वह यह तर्क दे सके कि वादी द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री उसके पक्ष में डिक्री पारित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी या

जी.

एच.

अन्यथा सूट रखरखाव योग्य नहीं था।इस तरह की अपील में अदालत के अधिकार क्षेत्र की कमी भी एक संभावित याचिका हो सकती है।हालाँकि, हम श्री चौधरी से सहमत हैं कि संहिता के आदेश 9 नियम 13 में संलग्न "स्पष्टीकरण" को एक सख्त निर्माण प्राप्त होगा जैसा कि इस न्यायालय ने रानी चौधरी (1982) 2 एस. सी. सी. 596, पी. किरण कुमार (2002) 5 एस. सी. सी. 161 और श्याम सुंदर सरमा बनाम पन्नालाल जैसवाल (2005) 1 एस. सी. सी. 436 में कहा था।"

बी.

12. भानु कुमार जैन और अन्य निर्णयों का उल्लेख करने और यह देखने के बाद कि प्रतिवादी दोनों कार्यवाहियों-आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के साथ-साथ धारा 96 (2) के तहत अपील का सहारा ले सकता है।

सी. पी. सी., नीरजा रियल्टर्स (पी) लिमिटेड बनाम.कानूनी माध्यम से जांगलू (मृत)

सी.

प्रतिनिधि (2018) 2 एस. सी. सी. 649, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः- "17. एक प्रतिवादी जिसके खिलाफ एक एकतरफा डिक्री पारित की जाती है, उसके पास दो विकल्प होते हैंःपहला है अपील दायर करना।दूसरा आदेश 9 नियम 13 के तहत आवेदन दायर करना है।प्रतिवादी एक साथ दोनों कार्यवाहियों का सहारा ले सकता है।आदेश 9 नियम 13 के तहत आवेदन दायर करके अपील का अधिकार नहीं खोया जाता है।लेकिन यदि अपील खारिज कर दी जाती है जिसके परिणामस्वरूप एकतरफा डिक्री अपीलीय अदालत के आदेश के साथ विलय हो जाती है, तो आदेश 9 नियम 13 के तहत एक याचिका बनाए रखने योग्य नहीं होगी।जब आदेश 9 नियम 13 के तहत एक आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो प्रतिवादी का उपचार आदेश 43 नियम 1 के तहत होता है।हालाँकि, एक बार ऐसी अपील खारिज हो जाने के बाद, धारा 96 के तहत पहली अपील में वही तर्क नहीं उठाया जा सकता है।भानू कुमार जैन (2005) 1 एस. सी. सी. 787 में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के बाद रवींद्र सिंह बनाम वित्तीय आयुक्त मामले में तीन न्यायाधीशों की एक और पीठ ने फैसला सुनाया।, सहयोग (2008) 7 एस. सी. सी. 663, और महेश यादव बनाम राजेश्वर सिंह (2009) 2 एस. सी. सी. 205 में दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा। ....."

डी.

ई.

एफ.

[रेखांकित करना जोड़ा गया]

13. आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के दायरे और धारा 96 (2) सी. पी. सी. के तहत अपील करने के वैधानिक अधिकार पर विचार करने के बाद,

भानू कुमार जैन**,** भीवचंद्र शंकर मोरे में**,** इस अदालत ने फैसला सुनाया

जी.

निम्नानुसारः- “11. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आदेश 9 नियम 13 सी. पी. सी. और धारा 96 (2) सी. पी. सी. का दायरा पूरी तरह से अलग है।आदेश 9 नियम 13 सी. पी. सी. के तहत दायर एक आवेदन में, अदालत को यह देखना होगा कि समन विधिवत जारी किया गया था या नहीं या क्या प्रतिवादी ए.

एच.

165

एन. मोहन बनाम आर. मधु [आर. भानुमती, जे.] ए.

जब मुकदमा सुनवाई के लिए बुलाया गया था तो किसी भी "पर्याप्त कारण" से उपस्थित होने से रोका गया था।यदि न्यायालय संतुष्ट है कि प्रतिवादी को विधिवत सेवा नहीं दी गई थी या उसे "पर्याप्त कारण" के लिए रोका गया था, तो न्यायालय एकतरफा डिक्री को दरकिनार कर सकता है और मुकदमे को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर सकता है।सी. पी. सी. की धारा 96 (2) के संदर्भ में, अपील एकतरफा पारित मूल डिक्री से होती है।धारा 96 (2) सी. पी. सी. के तहत दायर नियमित अपील में, अपीलीय अदालत के पास डिक्री के गुण-दोष में जाने के लिए व्यापक अधिकार क्षेत्र है।दो प्रावधानों के तहत जांच का दायरा पूरी तरह से अलग है। केवल इसलिए कि प्रतिवादी ने आदेश 9 नियम 13 सी. पी. सी. के तहत उपचार का पीछा किया, यह प्रतिवादी को अपील दायर करने से नहीं रोकता है यदि आदेश 9 नियम 13 सी. पी. सी. के तहत उसका आवेदन खारिज कर दिया जाता है।”

बी.

सी.

12. धारा 96 (2) सी. पी. सी. के तहत अपील का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है और प्रतिवादी को केवल इस आधार पर अपील के वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है कि आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत उसके द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है।भानू में

डी.

कुमार जैन बनाम अर्चना कुमार और अन्य (2005) 1 एस. सी. सी. 787,

सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या पहली अपील इस तथ्य के बावजूद बनाए रखने योग्य थी कि आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन दायर किया गया था और खारिज कर दिया गया था।यह देखते हुए कि अपील का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है और वादी को ऐसे अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, पैरा (36) और (38) में, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः-36. ... पहली अपील में डिक्री की शुद्धता पर सवाल उठाने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है।जब तक कानून स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से ऐसा नहीं कहता है, तब तक ऐसे अधिकार में कटौती नहीं की जाएगी और न ही उस पर कोई प्रतिबंध लगाया जाएगा।(दीपाल देखें।

ई.

एफ.

गिरीशभाई सोनी बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2004) 5 एस. सी. सी. 385 और चंद्रावती पी. के. वी.सी. के. साजी (2004) 3 एससीसी

734.)

.....”

14. जिस प्रतिवादी के खिलाफ एकतरफा डिक्री पारित की जाती है, उसके पास दो विकल्प होते हैं।पहला विकल्प आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत आवेदन दायर करना है और दूसरा विकल्प धारा 96 (2) सी. पी. सी. के तहत अपील दायर करना है। विचार करने योग्य प्रश्न यह है कि क्या दोनों विकल्पों का प्रयोग एक साथ किया जाना है या लगातार भी किया जा सकता है।एक बेईमान वादी, निश्चित रूप से, पहले आदेश के तहत एक आवेदन दायर कर सकता है।

जी.

एच.

IX नियम 13 सी. पी. सी. और मामले को उच्चतम मंच तक ले जाएं; उसके बाद एकतरफा डिक्री को चुनौती देते हुए सी. पी. सी. की धारा 96 (2) के तहत अपील दायर करने का विकल्प चुन सकते हैं।उस स्थिति में, वादी के लिए काफी समय बर्बाद हो जाएगा।विचार के

लिए प्रश्न यह है कि क्या एक साथ प्रदान किए गए उपचारों को लगातार उपचारों में परिवर्तित किया जा सकता है।

बी.

15. धारा 96 (2) सी. पी. सी. के तहत एक अपील एक वैधानिक अधिकार है, प्रतिवादी को केवल इस आधार पर वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है कि पहले, आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था।क्या प्रतिवादी ने विलम्बकारी रणनीति अपनाई है या जहां संहिता की धारा 96 (2) के तहत अपील के उपचार को आगे बढ़ाने में ईमानदारी की कमी है, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।यदि अदालत संतुष्ट होती है कि प्रतिवादी ने विलम्बकारी रणनीति अपनाई है या जहां ईमानदारी की कमी है, तो अदालत धारा 96 (2) सी. पी. सी. के तहत पहली अपील दायर करने में देरी को माफ करने से इनकार कर सकती है। लेकिन जहां प्रतिवादी आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत ईमानदारी से उपचार का पीछा कर रहा है, अगर अदालत आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत उपचार का पीछा करने में बिताए गए समय में देरी को माफ करने से इनकार करती है, तो प्रतिवादी अपील के वैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएगा।क्या प्रतिवादी ने विलंबकारी रणनीति अपनाई है या जहां आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत आवेदन को खारिज करने के बाद संहिता की धारा 96 (2) के तहत अपील के उपाय को आगे बढ़ाने में ईमानदारी की कमी है, यह तथ्य का सवाल है और प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इस पर विचार किया जाना चाहिए।

सी.

डी.

ई.

16. जब प्रतिवादी ने एकतरफा डिक्री के खिलाफ धारा 96 (2) सी. पी. सी. के तहत अपील दायर की और यदि उक्त अपील खारिज कर दी गई है, तो उसके बाद, प्रतिवादी आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत आवेदन दायर नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संहिता की धारा 96 (2) के तहत दायर अपील को खारिज कर दिए जाने के बाद, मुकदमे में पारित मूल डिक्री अपीलीय अदालत के डिक्री के साथ मिल जाती है।इसलिए, धारा 96 (2) सी. पी. सी. के तहत दायर अपील को खारिज करने के बाद, अपीलार्थी आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत उपचार पर वापस नहीं आ सकता है।

एफ.

जी.

17. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी ने ब्याज के साथ 98,500/- की वसूली के लिए 2015 का ओएस <आईडी3 होने के नाते धन मुकदमा दायर किया है और उक्त मुकदमे को 09.10.2015 पर एकतरफा घोषित किया गया था।डिक्री के निष्पादन के लिए 2016 की ईपी No.95 होने के कारण निष्पादन याचिका भी दायर की गई थी।जैसा कि पहले बताया गया है, अपीलार्थी ने ए के रूप में आवेदन दायर किया है।

एच.

167

एन. मोहन बनाम आर. मधु [आर. भानुमती, जे.] ए.

2016 का आई. ए. No.327 एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने के लिए आवेदन दाखिल करने में 276 दिनों की देरी को माफ करता है।उक्त आवेदन में, अपीलार्थी ने कहा है कि वह चेन्नई में रह रहा है; जबकि नोटिस त्रिची में दिया गया था और इसलिए, उसे तिरुचिरापल्ली में एडीजे अदालत के समक्ष 2015 के ओएस No.76 में उक्त मुकदमा दायर करने के बारे में जानकारी नहीं थी और एकतरफा डिक्री 09.10.2015 पर पारित की गई थी।अपीलार्थी ने आगे कहा है कि उसे एकतरफा डिक्री और निष्पादन याचिका के बारे में केवल उस समय पता चला जब वह करूर में 2016 के सी. सी. No.240 में 29.07.2016 पर पेश हुआ।जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, अपीलार्थी द्वारा दायर उक्त आवेदन जिसमें एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने के लिए आवेदन दायर करने में 276 दिनों की देरी को माफ करने की मांग की गई थी, दिनांक 04.01.2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधन और एस. एल. पी. को भी खारिज कर दिया गया।18. इसके बाद, अपीलार्थी ने पहली अपील दायर करने में 546 दिनों की देरी को माफ करने के लिए आवेदन के साथ पहली अपील को प्राथमिकता दी है।जैसा कि पहले बताया गया है, एकतरफा आदेश को दरकिनार करने के लिए आवेदन दायर करने में 276 दिनों की देरी हुई थी।आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत दायर आवेदन में कार्यवाही का पीछा करने से 270 दिनों की और देरी हुई है।इस प्रकार, पहली अपील दायर करने में लगभग 546 दिनों की कुल देरी हुई है।विलंब की क्षमा के लिए आवेदन में, निश्चित रूप से, अपीलार्थी ने वही आधार उठाया है जो सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर आवेदन में एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने के लिए लिया गया था जिसे पहले की कार्यवाही में स्वीकार नहीं किया गया था।19. अपीलार्थी-प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि Rs.45,00,000/- की एक बड़ी राशि का भुगतान नकद द्वारा किया गया है जो विद्वान अधिवक्ता के अनुसार इस तरह के लेनदेन की वास्तविकता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है।इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-वादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि हस्त ऋण के रूप में Rs.45,00,000/- के ऋण की पुष्टि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में दो उत्तर-दिनांकित चेक जारी करके की जाती है-एक <ID3,00,000/- की राशि के लिए और दूसरा <ID2,00,000/- की राशि के लिए।हम पक्षों के विवाद के गुण-दोष में जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं।केवल यह इंगित किया

जाना चाहिए कि अपीलार्थी को अच्छी तरह से सलाह दी गई होगी कि यदि उसने आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत आवेदन के साथ पहली अपील दायर की होती। हालाँकि अपीलार्थी ने इस न्यायालय के दिनांकित 13.08.2018 के आदेशों के अनुपालन में Rs.25,00,000/- जमा करके अपनी ईमानदारी दिखाई है।Rs.25,00,000/- की उक्त राशि को प्रतिवादी-वादी द्वारा वापस लेने की अनुमति दी गई थी।इसे ध्यान में रखते हुए

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और न्याय के हित में, हमारे विचार में, अपीलार्थी धन की वसूली के लिए मुकदमे में अपना बचाव करने का अवसर पाने का हकदार है।लेकिन इस अवसर का लाभ उठाने के लिए, उसे देरी की माफी के लिए एक शर्त के रूप में Rs.20,00,000/- की शेष राशि जमा करनी होगी।इन शर्तों में, विवादित निर्णय तदनुसार रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

बी.

20. इसलिए पहली अपील दायर करने में 546 दिनों की देरी को इस शर्त के साथ माफ कर दिया जाएगा कि अपीलकर्ता को 2015 के ओएस No.76 के क्रेडिट में 28.02.2020 पर या उससे पहले निचली अदालत-प्रधान जिला न्यायाधीश, तिरुचिरापल्ली के समक्ष Rs.20,00,000/- जमा करना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर, देरी की माफी के लिए आवेदन खारिज हो जाएगा।आई. डी. 1,00,000/- की ऐसी जमा राशि पर स्वतः नवीनीकरण के प्रावधान के साथ छह महीने की अवधि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेश किया जाएगा।Rs.20,00,000/- की जमा राशि और Rs.25,00,000/- की पूर्व जमा राशि भी अपील के परिणाम के अधीन होगी।Rs.20,00,000/- जमा करने पर, 2017 के

ए. एस. (एम. डी.) एस. आर. संख्या 27805 में 2017 के सी. एम. पी. (एम. डी.) No.6566 में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय को खारिज कर दिया जाता है और इस अपील की अनुमति दी जाती है।अपील दायर करने में देरी को माफ कर दिया जाता है।अपील फाइल पर ली जाएगी और उच्च न्यायालय कानून के अनुसार उसी के साथ आगे बढ़ेगा।हम स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर आपराधिक शिकायतों को इस न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए किसी भी विचार से प्रभावित हुए बिना अपने गुण-दोष पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

सी.

डी.

ई.

अंकित ज्ञान

अपील का निपटारा किया गया।

एफ.

जी.

एच.